न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
029/2020 (GCMS 2020/00072)	23.10.2020	30.03.2021

अनवान

शंकरलाल पिता ताराचन्द गाडरी उम्र वयस्क काश्तकार निवासी करसाना तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलान्ट

बनाम

श्री राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान।

रेस्पोंडेंट

–:: अपील अन्तर्गत धारा 75 ए राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट विरूद्ध निर्णयादेश तहसीलदार डूंगला बप्रकरण सं. 14/20 ना.क. फैसला दिनांक 21.07.2020 ::–

उपस्थिति :– श्री पूनमचंद मेहता — अधिवक्ता अपीलांट
श्री भैरूलाल सालवी — राजकीय अधिवक्ता

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत एक अपील विरूद्ध रेस्पोंडेंट के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कि अधीनस्थ तहसीलदार ने विधि एवं तथ्यों के विवेचन में भारी भूल की है। अधीनस्थ तहसीलदार डूंगला द्वारा अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना एवं विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना आराजी संख्या 193 के 240 वर्गमीटर के रकबे पर अपीलांट को अतिक्रमी मान लिया, अपीलांट द्वारा विवादित भूखण्ड के स्वामित्व को साबित करने हेतु ग्राम पंचायत करसाना द्वारा उसके पिता ताराचंद के पक्ष में वर्ष 1985 में जारी किया गया पट्टा पेश किया गया तथा उक्त पट्टे के तहत ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित भूमि पर अपीलांट वर्ष 1985 से लगातार मालिक काबिज चला आ रहा होकर सद्भाविक रूप से स्वामी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ तहसीलदार को पट्टे के बारे में ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव को नोटिस देकर उनका जवाब लेकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.05 17:51:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वस्तुस्थिति की पूरी जांच करने के पश्चात् ही कोई आदेश पारित करना चाहिये था मगर अधीनस्थ तहसीलदार ने अपीलांट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये बिना तथा गहन जांच बिना अपीलांट को सरसरी तौर पर अतिक्रमी मानकर बेदखली का आदेश पारित कर दिया जो खारीज किये जाने योग्य है। विवादित भूखण्ड ग्राम पंचायत ने वर्ष 1985 में अपीलांट को आवंटित कर कब्जा सौंप तब से लगातार अपीलांट उक्त भूखण्ड का उपयोग करता चला आ रहा है। अपीलांट काश्तकार है तथा उसके पास भारी संख्या में मवेशी होकर गोबर इक्कठा करने यानि रोड़ी डालने के लिये एवं कृषि उपकरण रखने व मवेशी बांधने के लिये उसके पास यही एकमात्र जगह है ऐसी स्थिति में उसके 35 साल पुराने कब्जे को देखते हुए उसका कब्जा नियमन योग्य होने से उसे उक्त भूखण्ड से बेदखल करना कत्तई कानून सम्मत एवं न्यायोचित नहीं था इस कारण यदि किसी कारण से उक्त भूखण्ड बिलानाम राजस्व रास्ता संख्या 193 में निहित होना भी माना जावें तो भी उक्त भूखण्ड पर अपीलांट के पिता के नाम पर ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित होने से उसका कब्जा नियमन योग्य होने से अपीलांट का उस पर सद्भाविक रूप से काबिज है तथा अपीलांट के पिता विरूद्ध कार्यवाही करने के बजाय अधीनस्थ तहसीलदार ने अपीलांट के विरूद्ध कार्यवाही की है जिससे उक्त भूखण्ड का वास्तविक स्वामी अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका हैं इस कारण अपीलांट के विरूद्ध की गई बदेखली की कार्यवाही कायम रखने योग्य नहीं है। अपीलांट गरीब एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का काश्तकार है तथा उसके सरवेले में ही सवर्ण वर्ग के अमीर व्यक्ति किशनलाल पिता नारायण ब्राहमण निवासी करसाना ने बाहुबल व धनबल के जरिये नाजायज अतिक्रमण कर अवैध मकान निर्माण कर लिया तथा आराजी संख्या 193 बिलानाम रास्ते की कीमती जमीन को हड़प ली है तथा अपनी आराजी संख्या 236/1 में मिला ली है तथा वो स्वंय अतिक्रमी होने के बावजुद तहसीलदार डूंगला को प्रभाव में लेकर उसकी आराजी से लगते हुए अपीलांट के भूखण्ड को हड़प करके सरकार की कीमती जमीन को अपनी जमीन में मिलाकर खुद प्लॉट काटकर बेचना चाहता है इसलिये अधीनस्थ तहसीलदार को कानून के समक्ष सबको बराबर रखते हुए उक्त अतिक्रमी को भी बेदखल करते हुए उसका अवैध निर्माण हटाना चाहिये था मगर अधीनस्थ तहसीलदार महोदय ने अतिक्रमी किशनलाल का अतिक्रमण नहीं हटवाया तथा अपीलांट को हटाना चाहते है जो साम्या के सिद्धान्त के विरूद्ध होकर न्यायोचित नहीं है अतः उक्त बेदखली का आदेश निरस्त योग्य है। अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा मनमकसुद तरीके से बिल मुक्ता राशि 1050/– रू बतौर शास्ती आरोपित की गयी हे जबकि नियम से लगान भी पचासगुणा पेनाल्टी से अधिक शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है इस कारण भी उक्त आदेश कायम रखने योग्य नहीं है। अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.05 17:51:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बिन्दु वक्त बहस निवेदन किये जायेंगे। अपील मुल्यांकन 10,000/– रूपया कायम कर नियमानुसार न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। उक्त मामले में निर्णयादेश दिनांक 21.07.2020 को अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 22.09.2020 को पटवारी हल्का द्वारा मौखिक रूप से सूचित करने से हुई जिससे उक्त अपील की मयाद निर्णयादेश की जानकारी दिनांक 22.09.2020 से शुरू होना मानी जाकर अपील पेश करने में हुई देरी माफी फरमाते हुए अपील अन्दर मयाद शुमार फरमायी जावें। अपीलांट की और से अपील पेश करने में हुई देरी माफी हेतु अलग से धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसको स्वीकार फरमाते हुए उक्त अपील अन्दर अवधि शुमार फरमाने योग्य है। अपील की सुनवायी का क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को हैं अतः प्रार्थना है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ तहसीलदार डूंगला द्वारा प्रकरण संख्या 014/2020 ना.क. में पारित निर्णयादेश दिनांक 21.07.2020 निरस्त फर्माया जावें।

इस पर अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। रेस्पोडेंट की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर तहसीलदार डूंगला के पत्रांक/राजस्व/पत्रा.सं.–14/2020/672 दिनांक 12.11.2020 से उनकी मूल पत्रावली संख्या 014/2020 अनवानी सरकार बनाम शंकरलाल पिता ताराचन्द निवासी करसाना अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता हैं।

दिनांक 30.03.2021 को अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता हाजिर आयें। राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में जवाब अपील मेमों/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस का निवेदन किया गया, इस पर उभयपक्ष की सहमति से प्रकरण में सीधे बहस पत्रावली को सुना गया। सर्वप्रथम उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम 1963 सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान मामले में अधीनस्थ तहसीलदार डूंगला द्वारा निर्णयादेश दिनांक 21.07.2020 प्रार्थी की अनुपस्थिति में पारित किया गया होकर उक्त निर्णयादेश की प्रार्थी को कोई सुचना नहीं थी, प्रार्थी को उक्त निर्णयादेश की जानकारी दिनांक 22.09.2020 को पटवारी हल्का करसाना द्वारा प्रार्थी को बेदखल करने बाबत् मौखिक रूप से सूचित करने पर हुई जिस पर प्रार्थी ने तुरन्त तहसील कार्यालय जाकर उक्त निर्णयादेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसपर अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा दिनांक 30.09.2020 को उक्त निर्णयादेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.05 17:51:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की नकल जारी की गयी जिससे प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि उसे बेदखल करने एवं पेनाल्टी आरोपित करने का आदेश पारित हुआ है। प्रार्थी ने नकल प्राप्त होते ही 30 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत कर दी है प्रार्थी उक्त निर्णयादेश से अनभिज्ञ था तथा जानकारी के अभाव में ही निर्णयादेश की नकल समय पर प्राप्त नहीं कर सका तथा दिनांक 22.09.2020 को पटवारी हल्का से जानकारी होते ही अपील करने हेतू निर्णयादेश की नकल लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया था तथा 9 दिन का समय नकल प्राप्त करने में लगा जिससे दिनांक जानकारी से अपील की मयाद शुरू होना मानी जाकर अपील प्रस्तुत करने में सद्भाविक रूप से हुई देरी माफ फरमाने योग्य है। कोरोना महामारी (covid 19) के चलते प्रार्थी को अपना बचाव करने के लिये घर पर रहना पड़ा जिससे प्रार्थी अधीनस्थ तहसील में प्रकरण के बारे में मालुमात करने नहीं जा सका, अधिवक्ता से भी नहीं मिल सका इस कारण भी प्रार्थी निर्धारित समय सीमा में उक्त अपील न्यायालय में प्रस्तुत करने से वंचित रहा, प्रार्थी ने जानबुझकर किसी भी प्रकार की देरी नहीं की है। अतः मामले की परिस्थितियों के मध्यनजर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी माफ फरमाई जावें। अतः निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमावें अधीनस्थ तहसीलदार डूंगला द्वारा प्रकरण संख्या 014/2020 ना.क. में पारित निर्णयादेश दिनांक 21.07.2020 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी माफ फरमाई जावें। इस पर राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया और अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेखों पर दृष्टिपात कराया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार डूंगला की मूल पत्रावली की आदेशिका दिनांक 21.07.2020 पर अपीलांट के हस्ताक्षर निशानी अंकित है एवं अपीलांट आदेश दिनांक 21.07.2020 की जानकारी होने के बावजूद अपीलांट द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारीज फरमाया जावें। इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस मियाद के रिवटल में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते उससे पूर्व ही उपस्थिति दर्ज कर निर्णय कर दिया जिसकी जानकारी भी अपीलांट को नहीं दी गई एवं ना ही किसी भी प्रकार का आदेश सुनाया गया, ऐसी स्थिति में अपीलांट को निर्णय दिनांक 21.07.2020 की जानकारी प्राप्त नहीं हुई एवं इसी आशय का शपथ पत्र न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अतः अपील प्रस्तुती में हुई समस्त देरी को क्षम्य किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रकरण जायदाद से संबंधित से ऐसी स्थिति में प्रकरण को गुणावगुण पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.05 17:31:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णित किया जाना ही उचित प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुती के हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाता है, एवं अपील अपीलांट अन्दर अवधि शुमार की जाती है।

इसके पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस अपील को उभयपक्ष सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ तहसीलदार डूंगला द्वारा अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना एवं विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना आराजी संख्या 193 के 240 वर्गमीटर के रकबे पर अपीलांट को अतिक्रमी मान लिया, अपीलांट द्वारा विवादित भूखण्ड के स्वामित्व को साबित करने हेतु ग्राम पंचायत करसाना द्वारा उसके पिता ताराचंद के पक्ष में वर्ष 1985 में जारी किया गया पट्टा पेश किया गया तथा उक्त पट्टे के तहत ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित भूमि पर अपीलांट वर्ष 1985 से लगातार मालिक काबिज चला आ रहा होकर सद्भाविक रूप से स्वामी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ तहसीलदार को पट्टे के बारे में ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव को नोटिस देकर उनका जवाब लेकर वस्तुस्थिति की पूरी जांच करने के पश्चात् ही कोई आदेश पारित करना चाहिये था मगर अधीनस्थ तहसीलदार ने अपीलांट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये बिना तथा गहन जांच बिना अपीलांट को सरसरी तौर पर अतिक्रमी मानकर बेदखली का आदेश पारित कर दिया जो खारीज किये जाने योग्य है। विवादित भूखण्ड ग्राम पंचायत ने वर्ष 1985 में अपीलांट को आवंटित कर कब्जा सौंप तब से लगातार अपीलांट उक्त भूखण्ड का उपयोग करता चला आ रहा है। अपीलांट काश्तकार है तथा उसके पास भारी संख्या में मवेशी होकर गोबर इक्कठा करने यानि रोड़ी डालने के लिये एवं कृषि उपकरण रखने व मवेशी बांधने के लिये उसके पास यही एकमात्र जगह है ऐसी स्थिति में उसके 35 साल पुराने कब्जे को देखते हुए उसका कब्जा नियमन योग्य होने से उसे उक्त भूखण्ड से बेदखल करना कत्तई कानून सम्मत एवं न्यायोचित नहीं था अपीलांट गरीब एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का काश्तकार है तथा उसके सरवेले में ही सवर्ण वर्ग के अमीर व्यक्ति किशनलाल पिता नारायण ब्राहमण निवासी करसाना ने बाहुबल व धनबल के जरिये नाजायज अतिक्रमण कर अवैध मकान निर्माण कर लिया तथा आराजी संख्या 193 बिलानाम रास्ते की कीमती जमीन को हड़प ली है तथा अपनी आराजी संख्या 236/1 में मिला ली है तथा वो स्वंय अतिक्रमी होने के बावजुद तहसीलदार डूंगला को प्रभाव में लेकर उसकी आराजी से लगते हुए अपीलांट के भूखण्ड को हड़प करके सरकार की कीमती जमीन को अपनी जमीन में मिलाकर खुद प्लॉट काटकर बेचना चाहता है इसलिये अधीनस्थ तहसीलदार को कानून के समक्ष सबको बराबर रखते हुए उक्त अतिक्रमी को भी बेदखल करते हुए उसका अवैध निर्माण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.05 17:31:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हटाना चाहिये था मगर अधीनस्थ तहसीलदार महोदय ने अतिक्रमी किशनलाल का अतिक्रमण नहीं हटवाया तथा अपीलांट को हटाना चाहते है जो साम्या के सिद्धान्त के विरूद्ध होकर न्यायोचित नहीं है। इसके जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट का कब्जा राजकीय बिलानाम भूमि पर होने से नियमन की पात्रता नहीं रखती है, जिससे अपीलांट की अपील सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है। प्रचलित नियमों के अनुसार राजकीय बिलानाम की भूमि आवंटन/नियमन योग्य नही है। जिस पर अतिक्रमण पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। राजकीय भूमि पर पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। अतः तहसीलदार, डूंगला के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस समाप्त की। बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया अधीनस्थ न्यायालय का उक्त बेदखली का आदेश निरस्त योग्य है। अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा मनमकसुद तरीके से बिल मुक्ता राशि 1050/– रू बतौर शास्ती आरोपित की गयी हे जबकि नियम से लगान भी पचासगुणा पेनाल्टी से अधिक शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है इस कारण भी उक्त आदेश कायम रखने योग्य नहीं है। इसी ईश्तुदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस पत्रावली समाप्त की। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2003(2)** पेज संख्या 1303, **RRT 2011(2)** पेज संख्या 1413, एवं **RRT 2006(1)** पेज संख्या 272 प्रस्तुत की एवं न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन कराया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावलियों का आद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। हमने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का अवलोकन किया। अधिनियम में धारा 91 के तहत व्यवस्था की गई है कि :–

91 Unauthorlsed occupation of Land - (1) Any person who occupies or continues to occupy any land without lawful monthly shall be regarded as a trespasser and may be summarily evicted there from by the Tehsildar at any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed, and 69[any crop standing, or any} building or other construction erected. or anything deposited on such land shall, if not removed with in such reasonable time as the Tehsildar may from time to time fix for the purpose, be liable to be forfeited to the State and to be disposed of 1[in the case of any such crop, in the manner he thinks fit and in other cases] as the Collector may direct:
Provided that the Tehsildar may in lieu of ordering the forfeiture of any such building or other construction, order the demolition of the whole or any part thereof.
1[(2) Such trespasser shall further be liable to pay, for 'each agricultural year during the whole or any part where of has been in such unauthorized occupation of the land, a penalty

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.05 17:51:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

which may extend to fifty times the annual rent, or assessment, as the case may be, for the first act of trespass. In the case of each subsequent ad of trespass, he shall by the order of Tehsildar, be liable to commitment to civic person for a term which may extend to three months and to pay penalty to the extent as aforesaid. The amount of such penalty shall be recovered as an arrear of land revenue, and]

1[(3) Where the trespasser ordered to be committed to civil prison under subsection (2) satisfies the Tehsildar by whom he is ordered to be committed to civil prison that he intends to present an appeal, the Tehsildar shall order that such trespasser be released on his own bond for such periods will afford him sufficient time present the appeal and obtain stay order from the Appellate Court and such order shall so long as he is so released on bond be deemed to be suspended]

(4) In any of the following cases, namely.-

(i) where the trespasser does neither vacate the land not make appearance in response to the notice issue under sub-section (3), or

(ii) where in response to such notice, the trespasser does not vacate the land and makes appearance but-

(a) does not show any such cause, or

(b) makes any representation which is rejected after such inquiry and hearing as may be necessary in the circumstances of the case, the Tehsildar shall, unless, in the case covered by clause (ii) the trespasser under-takes to vacate the land within a week's time- and vacates it whine such time order the removal of the trespasser from such land and shall remove or depute any person, to remove him therefrom and take possession thereof; and if the Tehsildar or the person so deputed is opposed or !impeded in taking possession of such land, the Tehsildar shall apply to a Magistrate having jurisdiction and such Magistrate shall enforce the surrender of the land to the Tehsildar.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Tehsildar may, in case any such land belongs to the category specified in clause (ii) of the proviso to Section 97, sell it, with the approval of the Sub-Divisional Officer, to the trespasser upon payment by him of the premium therefor at the rate fixed under Section 96 and applicable to such land in addition to the assessment and penalty recoverable from him under sub-section (2) in respect of the whole period of unlawful occupation

1[(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) - (a) whoever occupies any land without lawful authority or, having occupied such land before corning into force of the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Act, 1992, fails to remove such occupation within fifteen days from the date of service of a notice in writing calling upon him to do so by the Tehs!Idar shall, on convich`on, be punished with simple imprison- ment which shall not be less than one month but which may extend to three years and with fine which'may extend to twenty thousand rupees; and

(b) whoever, being an employee of the State Government specifically entrusted by an order of the Collector in writing with the duty to stop or prevent an offence punishable under this sub-section wilfully or knowingly neglects or deliberately omits to stop of prevent such offence, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both :

Provided that, in the case of an offence under clause (a), the court may for any adequate or special reason to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than one month :

Provided also that no investigation of an offence under clause (a) of this sub section shall be made by an officer below the rank of a Deputy Superintendent of Police :

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.05 17:51:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Provided further that no court shall take cognizance of an offence under clause (b) except with the previous sanction of the Collector.

अधिनियम की धारा 91 में प्रावधित किया गया है कि कोई व्यक्ति जिसने भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास कब्जा कर रखा हो या अधिवास रखता चला हा रहा है तो उसे अतिक्रमणकारी समझा जायेगा और वह वहां के तहसीलदार द्वारा उसकी इच्छा से या स्थानीय निकाय के आवदेन पत्र पर जिसके पास ऐसी भूमि रखी गई है तुरंत बेदखल किया जा सकता है। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/ परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। भूमि बिलानाम दर्ज होने से पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार डूंगला ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करके बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया। इसके साथ ही अपीलांट स्वयं अपने अपील मेमों में भी राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण करना स्वीकार किया गया, ऐसी स्थिति में अपीलांट विवादित आराजीयात पर अतिक्रमण किया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.07.2020 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है, जहॉ तक अपीलांट द्वारा अवगत कराया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया गया है, इस संबंध में अपीलांट द्वारा नोटिस अन्तर्गत धारा 91(3) का जवाब प्रस्तुत किया गया जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रिकार्ड पर है। जिस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण का सम्पूर्ण विचारण करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.07.2020 पारित किया जाना जाहिर होता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.07.2020 विधि सम्मत होकर इसमे किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है, एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.07.2020 संपुष्ट किये जाने योग्य प्रतीत होता है। इसके साथ ही अपीलांट द्वारा ऐसे कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह जाहिर हो कि उक्त विवादित आराजीयात में अपीलांट का किसी भी प्रकार से हक-अधिकार निहित है, जहॉ तक अपीलांट के विवादित आराजीयात के पट्टे का प्रश्न है तो विवादित आराजीयात किस्म बिलानाम दर्ज रिकार्ड है एवं अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार डूंगला की पत्रावली में प्रस्तुत पट्टा विलेख राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत जारी किया जाना जाहिर होता है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत ग्राम पंचायत किसी भी आबादी भूमि को प्राईवेट बातचीत के

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.05 17:31:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा विक्रय के जरिये अंतरण कर सकती है किन्तु उक्त भूमि आबादी होना आवश्यक एवं प्राथमिक शर्त है। साथ ही अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत पट्टा विलेख की प्रति अस्पष्ट है एवं उसके अवलोकन से यह तथ्य प्रकट नहीं होता है कि उक्त पट्टा विलेख आराजी संख्या 193 के संबंध में जारी किया गया। इसके साथ ही वर्तमान स्थिति में विवादित आराजीयात बिलानाम दर्ज रेकार्ड होकर राजकीय भूमि है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार, डूंगला के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट की और से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पांगी नहीं होते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण राजस्व अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार डूंगला द्वारा प्रकरण संख्या 014/2020 अनवानी सरकार बनाम शंकरलाल अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2020 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **30.03.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.05 17:51:22 IST
Reason: SelfAttested